प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, ध्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, .वर्ष 2022
   प्र0इ0रि0 सं0 ...241 /2022.....दिनांक....16/6/2022.....
2. (I) *अधिनियम ... धारा 7 (संशोधित) पीसी एक्ट 2018
   (II) *अधिनियम.....धारायें ....
   (III) *अधिनियम .....धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....307..... समय .4:30 P.M.,
   (ब) अपराध घटने का दिन - शुक्रवार दिनांक 01.04.2022
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 01.04.2022
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित
5. घटनास्थलः- पुलिस थाना चंदवाजी परिसर, जिला जयपुर ग्रामीण।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः- उत्तर दिशा व दूरी करीब 45 कि0मी0
   (ब) पता :
   बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
   (अ) नामः- श्री सन्दीप कुमार
   (ब) पिता/पति का नाम - श्री निर्भय दत्त शर्मा
   (स) जन्म तिथि/वर्ष .....35 वर्ष.....
   (द) राष्ट्रीयता .भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय .
   (ल) पता - निवासी मकान नं. 1173, गली नं. 4-बी, स्वतन्त्र नगर, नरेला, दिल्ली-110040
7. <u>ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित</u> :-
   श्री कैलाशचन्द सहायक उप निरीक्षक, थाना चन्दवाजी (पुलिस जिला जयपुर ग्रामीण) जिला जयपुर, राजस्थान।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-..कोई नहीं.....
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
   .....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्यः- .....
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

हालात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 01.04.2022 को एसीबी हेल्पलाईन नं. 1064 पर प्राप्त ईत्तला अनुसार श्री आलोक चन्द्र शर्मा, अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, नगर-प्रथम जयपुर द्वारा मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री संदीप कुमार की शिकायत पर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त होने व परिवादी के ब्यूरो मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हो सकने के कारण कानि. श्री राजकुमार नम्बर 364 को परिवादी श्री संदीप कुमार से सम्पर्क कर परिवादी से प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करने हेतु परिवादी के पास चंदवाजी भिजवाया गया। इसके बाद श्री राजकुमार कानि. 364 ने ब्यूरो कार्यालय में मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर पूर्व में सुपुर्द डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तथा परिवादी द्वारा श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, नगर-प्रथम, जयपुर के नाम पेश प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन किया तो परिवादी ने इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि, ''मै सन्दीप कुमार पुत्र श्री निर्भय दत्त शर्मा, निवासी दिल्ली दिनांक 30.03.2022 रात्रि 11:15 पीएम पर की गई 112 की कॉल पर मेरी गाड़ी नं. डीएल 1 एमए 6028 टैम्पो के साथ हुई दुर्घटना की सूचना दी। मौके पर पुलिस आई और आपसी सूझबूझ से मसले को हल करने का मशवरा देकर चली गई। इस सन्दर्भ में जीजे 27 जीसी 8093 ट्रेलर के ड्राईवर द्वारा साईड बिना देखे ट्रेलर बैक करने में मेरी गाड़ी के बांए दरवाजे को ठोका गया था। जिससे मेरी गाड़ी का दरवाजा व अन्य सामान (मिरर) टूट गए थे। आज दिनांक 01.04.2022 को चन्दवाजी ग्रामीण थाना में मै और दूसरी पार्टी राजीनामा लेकर थाने में मोहर लगवाने गए थे। जिस पर वहां मौजूद डी/ओ रुम में श्री कैलाशजी द्वारा पूछे जाने पर मैंने मेरे दस्तावेजो पर मोहर लगाने के लिए कहा तो उन्होंने राजीनामे पर मोहर व हस्ताक्षर करने के लिए मुझसे 5,000 रुपये की मांग की। मै रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। अतः उचित कार्यवाही करने की कृपा करे। एसडी सन्दीप कुमार पुत्र श्री निर्भय दत्त शर्मा, मकान नं. 1173, गली नं. 4-बी, स्वतन्त्र नगर, नरेला, दिल्ली-110040, मो. नं. 9250911810, 8083400400'' इसके साथ ही कानि. ने बताया कि मै ब्यूरो कार्यालय जयपुर से रवाना होकर चन्दवाजी पहुंचा। जहां परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी श्री सन्दीप कुमार से मिला। परिवादी श्री सन्दीप कुमार ने श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, नगर-प्रथम, जयपुर के नाम एक प्रार्थना-पत्र पेश किया। मजीद दरियाफ्त पर पूछने पर परिवादी ने बताया कि मुझे गाड़ी के एक्सीडेंट इन्श्योरेंस क्लेम के लिए एक्सीडेंट से संबंधित राजीनामें पर पुलिस थाने की मोहर की आवश्यकता है, जिस पर मै कैलाशजी से मिला था। श्री कैलाशजी थाना चन्दवाजी में एएसआई के पद पर है। उक्त परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने का पाया जाने पर सत्यापन किया जाना आवश्यक होने पर परिवादी को उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन कराया गया एवं पढ़कर सुनाया गया। उसके बाद मैंने चन्दवाजी थाने के पास परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर संदिग्ध कर्मचारी की मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया, मै अपनी उपस्थिति छुपाकर मुकिम हुआ। जहां परिवादी की संदिग्ध आरोपी से वार्ता हुई। उसके बाद परिवादी ने चन्दवाजी थाने के बाहर आकर मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर सुपुर्द किया जिसको मैंने मेरे पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि उसको श्री कैलाश मौके पर मिला, जिसने मुझसे गाड़ी के एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम के लिए एक्सीडेंट से संबंधित राजीनामें पर मोहर लगाने की ऐवज में 5,000 हजार रिश्वत राशि की मांग कर 3,000 (तीन हजार) रुपये रिश्वत राशि लेना तय किया है। संदिग्ध श्री कैलाश से रिश्वत के संबंध में वार्ता हुई जो मैनें डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, नगर-प्रथम, जयपुर द्वारा प्रार्थना-पत्र पर मन उप अधीक्षक पुलिस को अग्रिम कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित कर पुनः सुपुर्द किया। श्री राजकुमार कानि. से प्राप्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग होना पाया गया। तत्पश्चात दिनांक 03.04.22 को मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री श्रवण

कुमार पुलिस निरीक्षक, श्री मनोहर सिंह हैडकानि. 42, हरिसिंह कानि. 19, मनु शर्मा कानि. 111, राजकुमार कानि. 364, आशीष कानि. 208, बंशीधर कानि. 363, लालु सैनी कानि.418 मय पूर्व से पांबदशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री मनोज कुमार चांवरिया वरिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, खाली सीडी एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान के एवं पूर्व में सुरक्षित हालात में रखा गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर अपने पास सुरक्षित रखकर सरकारी वाहनों से मय चालकगण के ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर चंदवाजी पहुंचे, जहां पूर्व से पांबदशुदा परिवादी उपस्थित मिला। जहां पर मन उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकाल कर दिनांक 01.04.2022 को परिवादी श्री सन्दीप कुमार की आरोपी श्री कैलाश एएसआई से हुई रुबरु रिश्वत माँग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्ड वाईस क्लिप को गवाहान एवं परिवादी के समक्ष लेपटॉप की सहायता से सुना गया एवं पूर्व में तैयार की गई उक्त सभी वार्ता रूपान्तरण का संबंधित वॉईस क्लिप से स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी द्वारा शब्द ब शब्द मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया। उक्त रिकॉर्ड वार्ता की आवाज परिवादी श्री सन्दीप कुमार द्वारा अपनी स्वयं की व आरोपी श्री कैलाश एएसआई की आवाज होना पहचान की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को लेपटॉप से जोड़कर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा रिकॉर्ड शुदा वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों सीडीयों को खाली होना सुनिश्चित कर रिकॉर्ड वार्ता की नियमानुसार तीन सीडीयो में राईट/बर्न की जाकर रिकॉर्ड वार्ता सीडीयों में रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर तीनों सीडी पर अलग-अलग मार्क ए-1, ए-2, ए-3 क्रमशः अंकित किये गये। तीनों सीड़ीयों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त सीडी में से दो सीडी मार्क ए-1 मार्क ए-2 को अलग-अलग प्लास्टिक कवर में रखकर सीडी को कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा सीडी मार्क ए-3 अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली रखी गयी। इसके बाद आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर ट्रेप कार्यवाही के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु परिवादी से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 3,000 रुपये पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने बताया कि संदिग्ध आरोपी अभी पुलिस थाना पर है या नहीं मुझे व्यक्तिगत गोपनीय रुप से वहां जाकर मालुम करना पड़ेगा, तत्पश्चात रिश्वती राशि पेश कर दुंगा। जिस पर परिवादी को संदिग्ध आरोपी से रुबरु नहीं मिलने की तथा अन्य मुनासिब हिदायत की जाकर संदिग्ध आरोपी की पुलिस थाने में उपस्थिति मालुम करने हेतु रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान व सरकारी वाहनों के चदंवाजी कस्बे में गोपनीय रुप से मुकीम रहकर परिवादी के आने का इंतजार किया गया। उसके बाद पूर्व का रवानाशुदा परिवादी मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आया व बताया कि मैंने थाने के पास जाकर मेरे स्तर पर मालूम किया तो श्री कैलाश एएसआई का अभी थाने पर मौजूद नहीं होना तथा अभी छुटटी पर गया होना ज्ञात हुआ। संदिग्ध आरोपी का अभी थाने पर नहीं होने से ट्रेप कार्यवाही संभंव नहीं होने पर परिवादी को रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान व सरकारी वाहन मय चालकगण के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचा। उसके बाद दिनांक 15.04.22 को परिवादी श्री सन्दीप कुमार द्वारा बताया गया कि मैं कल दिनांक 16.04.22 को मेरे कार्य से फ्री होकर वापस आ रहा हूं आप कल अग्रिम कार्यवाही कर सकते हैं। जिस पर दिनांक 16.04.22 को मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री रामजीलाल एएसआई, श्री राजेश भुरिया हैड कानि. 41, श्री मनोहर सिंह हैड कानि. 42, श्री आशीष कानि. नम्बर 208, श्री लालू सैनी कानि. 418, श्री बंशीधर कानि. 363, श्री राजकुमार कानि. 364 व श्रीमती राजबाला महिला कानि. 495 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री

मनोज चांवरिया व श्री राजेश कुमार मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान के एवं पूर्व में सुरक्षित हालात में रखा गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर अपने पास सुरक्षित रखकर सरकारी वाहनों से मय चालकगण के ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर चंदवाजी पहुंचे, जहां पूर्व से पांबदशुदा परिवादी उपस्थित मिला। जहां पर आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर ट्रेप कार्यवाही के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु परिवादी से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 3,000 रुपये पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने बताया कि संदिग्ध आरोपी अभी पुलिस थाना पर है या नहीं मुझे व्यक्तिगत गोपनीय रुप से वहां जाकर मालुम करना पड़ेगा, तत्पश्चात रिश्वती राशि पेश कर दुंगा। जिस पर परिवादी को संदिग्ध आरोपी से रुबरु नहीं मिलने की तथा अन्य मुनासिब हिदायत की जाकर संदिग्ध आरोपी की पुलिस थाने में उपस्थिति मालुम करने हेतु रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान व सरकारी वाहनों के चदंवाजी कस्बे में गोपनीय रुप से मुकीम रहकर परिवादी के आने का इंतजार किया गया। उसके बाद पूर्व का रवानाशुदा परिवादी उप अधीक्षक पुलिस के पास आया व बताया कि मैं संदिग्ध आरोपी की पुलिस थाने में उपस्थिति मालुम करने हेतु रवाना होकर थाने के पास पहुंचा तो पता चला कि वह थाने पर नहीं है, तो मैंने काफी देर आस-पास रहकर उसके आने का इंतजार किया, लेकिन श्री कैलाशजी एएसआई मेरे को एकदम से ही मिल गया। जिससे मेरी उक्त मामले के बारे में बातचीत हुई तो उसका रुख बदला हुआ था तथा कहा कि मेरे पास तेरा ही काम थोड़े ही है, तेरी गाड़ी का काम वैसे ही हो जायेगा थाने से राजीनामे पर मोहर व हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। उसने मुझसे रिश्वती राशि के संबंध में कोई वार्ता नहीं की, लेकिन मैंने उससे पूर्वानुसार मांगी गई रिश्वती राशि के संबंध में बातचीत की तो उसने रिश्वती राशि नहीं लेनी चाही व ना हीं इस संबंध में खुलकर कोई बातचीत की है। मुझे अंदेशा है कि अभी वो मुझसे रिश्वती राशि के संबंध में बातचीत नहीं करेगा व ना हीं रिश्वती राशि प्राप्त करेगा। अगर श्री कैलाश एएसआई मेरे से रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबंध में कोई वार्ता करेगा तो मैं आईन्दा आपको अवगत करा दूंगा। परिवादी के कथनानुसार संदिग्ध आरोपी द्वारा फिलहाल रिश्वती राशि प्राप्त करने की संभावना नजर नहीं आने पर परिवादी को संदिग्ध आरोपी से रिश्वती राशि के संबंध में वार्ता होने पर अविलम्ब अवगत कराने हेतु कहा गया तथा परिवादी को रवाना किया जाकर उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान व सरकारी वाहन मय चालकगण के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय, जयपुर पहुंचा। कार्यालय का डिजिटल वाइस रिकॉर्डर को पुनः कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद उप अधीक्षक पुलिस का परिवादी श्री सन्दीप कुमार से जरिये फोन सम्पर्क हुआ तो परिवादी द्वारा आरोपी श्री कैलाश एएसआई से रिश्वत राशि के संबंध में अभी तक कोई वार्ता नहीं होना बताया। उसके बाद परिवादी श्री सन्दीप कुमार दिनांक 17.05.2022 को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा व्यक्तिगत रुप से बताया कि मुझे विश्वास है कि आरोपी श्री कैलाश एएसआई अब मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करेगा।

रिश्वत माँग सत्यापन वार्ता तथा तैयार की गई फर्द ट्रांसक्रिप्ट से आरोपी श्री कैलाशचन्द एएसआई तथा परिवादी श्री सन्दीप कुमार के मध्य निम्न वार्ताऐं कि:- परिवादी- ''भाई अगर एफआईआर नहीं है तो राजीनामा तो चाहिएगा मुझे'' एसओ- ''...राजीनामा तो चाहियेगा...'', परिवादी- ''सर थोड़ा कम बेसी कर लो'' एसओ- ''तेरे फोन पे मंगवा ले'', परिवादी- ''पांच ज्यादा हो जायेगें पांच हजार नहीं हो पायेंगे, थोड़ा बहुत कम कर लो मैं गरीब आदमी हूं'' एसओ- ''तीन हजार रुपये दे देना'', परिवादी- ''तीन अच्छा'' एसओ- ''इससे कम तो नहीं'', परिवादी- ''खाते में भी देखने पड़ेंगे क्योंकि अभी भाड़ा भी नहीं आया खाते में'', परिवादी- ''तीन हजार से कम में काम नहीं होगा'' एसओ- ''नहीं नहीं'',

परिवादी- ''एटीएम कौनसा है, यहां पे वैसे कोई से से भी निकल जायेंगे पैसे तो'' एसओ- ''कितना टाईम लगेगा, जा ले आ फटाफट'', परिवादी- ''चलो ठीक है, तीन निकालता हूं, मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूं सुबह से ही बताऊ ना जब आपने पांच हजार मांगे है ना मेरा तो पैरों.....तले सरक गई थी जमीन'' एसओ- ''प्रचार मत करे'', परिवादी- ''हां चलो ठीक है'' एसओ- ''ज्यादा प्रचार मत करे ज्यादा'', परिवादी- ''ठीक...ठीक...'' आदि वार्ताओं के आधार पर आरोपी श्री कैलाशचन्द एएसआई द्वारा परिवादी से उसका कार्य करने की ऐवज में 5,000 हजार रिश्वत राशि की मांग कर अन्तिम रुप से 3,000 रुपये रिश्वत राशि लेने का सौदा तय करना पाया गया है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, रिश्वत माँग सत्यापन वार्ता तथा अब तक की गई कार्यवाही से आरोपी श्री कैलाशचन्द सहायक उप निरीक्षक, थाना चन्दवाजी (पुलिस जिला जयपुर ग्रामीण) जिला जयपुर, राजस्थान द्वारा परिवादी श्री सन्दीप कुमार से उसकी गाड़ी के एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम के लिए एक्सीडेंट से संबंधित राजीनामें पर मोहर लगाने व हस्ताक्षर करने की ऐवज में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 01.04.2022 को 3,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः श्री कैलाशचन्द सहायक उप निरीक्षक, थाना चन्दवाजी (पुलिस जिला जयपुर ग्रामीण) जिला जयपुर, राजस्थान के विरूद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय

(नीरज गुरनानी)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री कैलाशचन्द, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना चन्दवाजी, (पुलिस जिला जयपुर ग्रामीण) जिला जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 241/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

16.6.22
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कमांक 2124–28 दिनांक 16.06.2022

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या–1 जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक–प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर–प्रथम, जयपुर।

16.6.22
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर